IJAER/ Nov-Dec 2021/Volume-10/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

शिक्षा नीति में हिन्दी के महत्व का अध्यन करना

Mukesh Kumari,
Research Scholar, Dept of Hindi,
Himalayan Garhwal University

Dr Poonam Devi,
Associate Professor, Dept of Hindi,
Himalayan Garhwal University

शोध सार

भाषा, संस्कृति का विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण उपादान होती हैं इसीलिए जहाँ–जहाँ संस्कृति पुष्पित एवं पल्लवित होती है, वहाँ–वहाँ स्वतः ही भाषा का भी विकास होता चला जाता है। आज के वैश्विक युग में जब भारतीय समाज एवं संस्कृति ने अपनी वैश्विक पहचान निर्मित की है तो स्वतः ही भारतीय भाषाओं का भी वैश्विकरण हो गया है। अतः भारतीय संस्कृति के वैश्विक स्वरूप का विश्लेषण करने के लिए भारतीय भाषाओं की वैश्विक पहुँच और परिधि का विश्लेषण किया जाना भी अनिवार्य प्रतीत होता हैं। मनुष्य अपने मूल से उखड़कर जहाँ–जहाँ जाकर बसता रहा, वहाँ–वहाँ उसकी भाषा, संस्कार और रीति–रिवाज भी जीवित होते चले गए। इस तरह मनुष्य की यह विस्थापन यात्रा भाषा एवं संस्कृतियों के अनवरत क्रम की विकास यात्रा भी कही जा सकती है। इस नीति में भाषा शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया गया है। इस हेतु विकिपीडिया जैसे माध्यम के द्वारा भारतीय भाषाओं और उससे संबंधित कला, संस्कृति का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही बालक भाषा आनन्द से सीख सके इस हेतु ऐप्स एवं गेम्स आदि विकसित करने की बात भी कही गई है। भारत में भाषाओं की विविधता को ध्यान में लेकर एक अत्यंत व्यावहारिक समस्या के समाधान पर भी नीति में ध्यान दिया गया है। हमारे देश के अधिकतर राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है परन्तु जिसको आज प्रचलित भाषा में बोली कही जाती है वह एक ही राज्य में अनेक होती हैं। कई बार अनुभव आता है, विशेषकर जनजातीय, पहाड़ी क्षेत्र के छात्र उस राज्य की राजभाषा भी ठीक प्रकार से नहीं जानते, ऐसे में उनको वहां की स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए तब वह सही ढंग से सीख पायेंगे। इस हेतु इस नीति में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु लिए जाने वाले साक्षात्कार में स्थानीय भाषा की सुगमता का भी परीक्षण किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण भारत के उत्कृष्ट छात्रों, विशेषकर कन्याओं हेतु बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए विशेष छात्रवृति की व्यवस्था की जाएगी जिससे ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा में निपुण शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके।

प्रमुख शब्द : *भाषा, संस्कृति, संस्कार और रीति–रिवाज, प्राचीन संस्कृति, विविधता*

प्रस्तावना

भारत एक बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। विविधता में एकता के सूत्र में बंधा यह देश अनेक राज्यों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों को स्वयं में समाहित किए हुए निरंतर अपनी विकास यात्रा पर गतिशील है। लगभग दस हजार वर्षों की इस

विकास यात्रा में भारत अनेक उतार–चढ़ाव के दौरों से गुजरा है। इसमें एक दौर भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्वीकार्यता एवं सार्वभौमिकता का, दूसरा दौर विश्व सभ्यताओं के भारतीय संस्कृति में सम्मिश्रण का तथा तीसरा और वर्तमान दौर भारतीय संस्कृति के वैश्विक संस्कृति के रूप में प्रतिस्थापित होने के लिए प्रयासरत होने को कहा जा सकता है।

भारत प्राचीनकाल से ही अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं के लिए विश्व में जाना जाता रहा है। इक्कीसवीं सदी में भारतीयों ने वैश्विक मंच पर अपनी पहुँच से भारत की इसी प्राचीन पहचान में नए उपादान जोड़े हैं। आज विश्व मे सर्वत्र भारत, भारतीयता एवं भारतीय संस्कृति की बढ़ती पहुँच भारत की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक हैं। विश्व में भारतीयता की इन्हीं बढ़ती पद्चापों को भारतीय भाषाओं ने प्रतिध्वनि एवं प्रतिमान दिए हैं; जिनके परस्पर सम्मिश्रण एवं संचरण ने भारतीय संस्कृति को और अधिक विस्तार दिया है। भारतीय संस्कृति के इस विस्तार में अन्य कारकों के साथ–साथ भारतीय भाषाओं का भी विस्तार हुआ है।

भारतीय भाषाओं के वैश्विक पद्चाप और प्राचीन संस्कृति : संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन और सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। इस तरह से देखा जाए तो विश्व की अधिकांश भाषाओं के शब्दों की उत्पत्ति भारतीय शब्द परंपरा से ही जुड़ी हुई है। विश्व की सभी भाषाओं का निर्माण संस्कृत से होने के कारण उन सभी भाषाओं में भारतीय भाषाओं से समानता की प्रवृत्ति होना अनिवार्य एवं लाजमी है। भारतीय भाषाओं की विश्व की अन्य भाषाओं के साथ यह समानता भारतीय भाषाओं के वैश्विक स्वरूप की और संकेत इंगित करती है, जिसे संस्कृत भाषा के साथ–साथ अन्य भारतीय भाषाओं की विश्व यात्रा के अनुक्रम में समझा जा सकता हैं। जब कोई व्यक्ति अथवा समाज किसी एक स्थान से विस्थापित होता है तो वह केवल अकेला विस्थापित नही होता है अपितु उसके साथ–साथ उसकी भाषा, संस्कार एवं मान्यताएं भी विस्थापित होती हैं। इस तरह उसकी समूची दुनिया ही विस्थापित हो जाती हैं। यह विस्थापन मनुष्य के साथ–साथ उसकी भाषा, समाज एवं संस्कृति का भी होता है।

विश्व मे हिंदी और भारतीय संस्कृति : इक्कीसवीं सदी विज्ञान एवं तकनीकी के वर्चस्व की सदी है। विज्ञान की प्रगति ने ऐसे अनेक कारक उत्पन्न किए हैं, जिनसे मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना आम धारणा बन गया है। आज का मनुष्य बेहतर अवसरों की चाह में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस रहा हैं। परिणामस्वरूप प्रवास की प्रक्रिया में तेजी आई है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् से शिक्षा, रोजगार एवं अन्य कारणों से विश्व के विकसित देशों ब्रिटेन, कनाड़ा, अमेरिका इत्यादि में बहुत तेजी से प्रवास हुआ है। बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में सूचना क्रांति के विस्फोट ने प्रवास की इस गति को और अधिक विस्तार दिया है। जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों में भारतीय तकनीकी पेशेवरों, चिकित्सों इत्यादि के रूप में भारतीयों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या विदेशों में जाकर बस गई। भारत से प्रवास का यह तीसरा और वर्तमान चरण पूर्व के प्रवासों से बहुत भिन्न और व्यापक हैं। यही कारण है कि इसकी वैश्विक गूँज भी सर्वत्र सुनाई पड़ रही हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय भाषाओं की अवस्थिति, अवधारणा और स्वरूप : हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। पहले नंबर पर चीन की मंदारिन भाषा का स्थान हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 करोड़ प्रवासी भारतीय विश्व के अलग–अलग देशों में रह रहे हैं। भारतेतर देशों में रह रहे इन प्रवासियों के द्वारा अंग्रेजी उनके कामकाज की भाषा, हिंदी इनकी राष्ट्रीयता की भाषा एवं उनकी स्थानीय भाषा बोली उनके घर परिवार की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इस तरह देखा जाए तो वैश्विक मंच पर भारतीयों के साथ उनकी भाषा, समाज एवं संस्कृति भी अपनी विशिष्ट पहचान निर्मित कर रहे हैं।

भारतीय भाषाओं का विश्व स्वरूप और नई शिक्षा नीति : भाषाएँ, राष्ट्र का प्राणाधार होती हैं। वह उस राष्ट्र का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से प्रतिनिधित्व ही नहीं करती अपितु उसकी वाणी बनकर परस्पर सह–संबंध स्थापित करती है। इस तरह से देखा जाए तो गतिशील भाषाएँ ही राष्ट्र की जीवंतता का प्रमाण होती हैं। जिस प्रकार राष्ट्र अपनी वैश्विक पहचान हेतु भाषाओं के अंतःसंबंध पर निर्भर होते हैं ठीक उसी प्रकार भाषाएँ भी अपनी गतिशीलता एवं विस्तार हेतु समाज पर ही आश्रित होती हैं। इस तरह इन दोनों की एक दूसरे पर यही निर्भरता दीया और बाती के समान हैं। दीये यानी समाज मे रहकर ही बाती (भाषा) प्रज्वलित होती रहती हैं, उसी प्रकार भाषा (बाती) के बिना खाली दिया भी महत्त्वहीन ही हैं। अतः परस्पर एक–दूसरे के विकास और विस्तार के लिए इन दोनों का एक दूसरे के प्रति ईमानदार और सचेत होना अनिवार्य है। दुर्भाग्य से भारतीय समाज अपनी भाषा और बोलियों के प्रति सचेत नही रहा हैं। जिसके कारण हमारी सैकड़ों भाषाएँ और बोलियां विलुप्त हो गई हैं और सैकड़ों विलुप्ति की कगार पर खड़ी हैं। भाषाओं के अस्तित्व पर आए इस विकट संकट से निपटने के लिए उस राष्ट्र की भाषाई नीतियों एवं नीतिकारों का दूरगामी और दूरदर्शी होना बहुत आवश्यक है। वर्ष 2020 में आई नई शिक्षा नीति इस दूरदर्शी सोच की परिणिति है, जिसमें भारतीय भाषाओं के अस्तित्व पर आए संकटों पर चिंतन–मनन करते हुए भाषाओं के विकास और गतिशीलता हेतु विस्तृत एवं व्यापक कार्ययोजनाओं का प्रारूप तैयार किया गया हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 22 में भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रावधानों को समायोजित किया गया हैं, जिनमें से भाषाई विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं :

1. भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का कथन "कोस–कोस पर बदले वाणी, चार कोस पर पानी" भारत के भाषाई वैविध्य एवं समृद्धता को दर्शाता है। भारत में राज्यों विशेष की मुख्य भाषा के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर अनेक बोलियाँ प्रचलन में रही हैं। भारत की अन्य भाषाओं के साथ–साथ स्थानीय भाषा एवं बोलियों के संवर्धन हेतु सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने त्रि–स्तरीय भाषा सूत्र का सुझाव दिया था। जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में स्वीकार करके लागू भी किया गया किंतु इतने वर्षों बाद भी यह न तो पूरी तरह से लागू ही हो पाया और न ही अपने वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर पाया। भारत की नई शिक्षा नीति (2020) में प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण हेतु इसी त्रि–भाषाई सूत्र को दृढ़ता से पालन करने की बात कही गई है। इसमें एक भारतीय भाषा हिंदी के साथ–साथ विदेशी भाषा अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा या बोली में शिक्षण की व्यवस्था

का प्रावधान किया गया है। इस तरह नई शिक्षा नीति भारत की मुख्य भाषा हिंदी के साथ–साथ अन्य स्थानीय भाषाओं/बोलियों के संवर्धन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण मानी जाएगी।

2. नई शिक्षा नीति (2020) के अध्याय 22 के उपअध्याय 6 में भारतीय संविधान में स्वीकृत 22 भाषाओं के साथ–साथ अन्य भाषाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए इन सभी भाषाओं से संबंधित साहित्य तथा अन्य सामग्री को लिखित रूप में संग्रहित करने की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही इन भाषा एवं बोलियों के शब्दकोशों का निर्माण, इनके अन्य भाषाओं में अनुवाद तथा वेबसाइट निर्माण जैसे अनेक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रावधान निर्मित किए गए है, जिनके अनुपालन के द्वारा इन सभी भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में काफी तेजी आएगी। इस तरह से नई शिक्षा नीति–2020 विलुप्ति की कगार पर खड़ी कई भारतीय भाषाओं के लिए जीवनधारा का कार्य करेगी।

3. नई शिक्षा नीति (2020) के अध्याय 22 के उपअध्याय 7 में भाषा शिक्षण के महत्त्व को स्वीकार करके, इस दिशा में कार्य करने का सुझाव दिया गया है। भाषा शिक्षण को सरल बनाकर उसे और अधिक व्यापकता प्रदान की जा सकती है। इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति में भाषा शिक्षक एवं शिक्षण से संबंधित यह महत्त्वपूर्ण प्रावधान है, जिससे भारतीय भाषाओं के अध्ययन एवं अध्यापन के लिए वैश्विक परिवेश निर्मित होगा और भारतीय भाषाओं के वैश्विक परिदृश्य में और अधिक विस्तार होगा।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अध्याय 22 के उपअध्याय 9 में उच्चतर शिक्षा में पूर्व प्रचलित मानदंडों को और अधिक सशक्त बनाने हेतु नए पाठ्यक्रमों का निर्माण उनका शिक्षण एवं संकाय निर्माण पर बल दिया गया है। इसके तहत भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य तथा सृजनात्मक लेखन के लिए विशेष पाठ्यक्रमों एवं विभागों की स्थापना की जाएगी। इस तरह से यह नीति भारतीय भाषाओं की स्थानीयता के साथ–साथ स्थान विशेष के सांस्कृतिक सरोकारों की वैश्विक परिधि निर्मित करने की ओर अग्रसर है, जिसमें भारत के सांस्कृतिक उपादानों को वैश्विक मानकों के अनुरूप संरक्षित एवं संवर्धित करने पर बल दिया गया है।

5. भारतीय भाषाओं के वैश्विक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से नई शिक्षा नीति (2020) के अध्याय 22 का उपअध्याय 14 बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसमें भारतीय भाषाओं की वैश्विक पहुँच हेतु भारतीय एवं अन्य विदेशी भाषाओं के साहित्य का अनुवाद एवं विवेचना संबंधित कार्यों को और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इन भाषाओं की उच्चतम गुणवत्तापूर्ण सामग्री को आम भारतीय तक सुगमता से पहुँच निश्चित करने के लिए एक संस्थान "इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एण्ड इंटरप्रिटेशन" (आईआईटीआई) की स्थापना का प्रावधान इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। जिससे अनेक भाषाओं की वैश्विक परिधि एवं पहचान निर्मित करने का कार्य किया जाएगा।

6. नई शिक्षा नीति के अध्याय 22 का उपअध्याय 16 भारतीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में मील के पत्थर का कार्य करेगा। उक्त उपअध्याय में भारतीय भाषाओं और प्राचीन साहित्य का अध्ययन, अध्यापन करने वाले संस्थानों को और अधिक विस्तार करने, पांडुलिपियों को खोजने, संग्रहित करने तथा अनुवाद द्वारा सुरक्षित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य

किया जाएगा। इसके साथ ही इस दिशा में कार्य करने वालों अन्य संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों के निर्माण तथा इनके अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करने हेतु विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर भी बल दिए जाने की बात की गई है। इस तरह से देखा जाए तो नई शिक्षा नीति का यह प्रावधान शास्त्रीय भाषाओं एवं उनके साहित्य को संरक्षित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा।

7. नई शिक्षा नीति के अध्याय 22 का उपअध्याय 18 भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में स्वीकृत 22 भाषाओं के विकास एवं विस्तार से संबंधित है। इसमें संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा की एक अकादमी की स्थापना का प्रावधान दिया गया है, जिसमें उस भाषा के विद्वान और उससे जुड़े लोगों को सम्मिलित किया जाएगा। यह अकादमी विश्व की अन्य भाषाओं के अनुरूप अपने गुणवत्ता के मानक तय करके नए शब्दकोशों का निर्माण करने, अपनी भाषाई पहुँच को और अधिक विस्तार देने से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन; केंद्र व राज्य के सहयोग से करेगी। इस प्रकार यह प्रावधान भारतीय भाषाओं की गुणवत्ता एवं संवर्धन की दिशा में नए मानक तय करेगा।

8. नई शिक्षा नीति (2020) के अध्याय 22 का उपध्याय 19 तकनीकी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एवं प्रासंगिक प्रावधान है। इसमें भारतीय भाषाओं, लोककलाओं तथा लोक संपदाओं से जुड़ी सामग्री का वेब आधारित दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इसमें स्थानीय कलाओं और भाषाई उपादानों जैसे लोक नाट्य परंपरा, बुजुर्गों का मौखिक संवाद आदि को डिजीटल रूप (रिकॉर्डिंग) करके प्लेटफार्म/पोर्टल/विकीपीडिया के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। इसके साथ विश्वविद्यालय की शोध समितियों को इनके और अधिक संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस तरह से नई शिक्षा नीति का यह प्रावधान भारतीय इतिहास, पुरातत्व की परियोजना के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा।

9. नई शिक्षा नीति के अध्याय 22 के अंतिम उपध्याय 20 में भारतीय भाषाओं, कलाओं तथा संस्कृति के अध्ययन के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। इसमें भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए उनके प्रयोग एवं कार्य व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भाषाओं के सृजनात्मक लेखन को पुरस्कृत करने के साथ–साथ भारतीय भाषाओं में रोजगार के अवसर निर्माण करने की अनुशंसा की गई है। भारतीय भाषाएँ यदि रोजगार से जुड़ेगी तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी स्वीकार्यता एवं पहुँच के क्षेत्र में भी व्यापक विस्तार होगा। अतः नई शिक्षा नीति का यह अंतिम प्रावधान भी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

भारत में भाषा की स्थिति

भारत, दक्षिण एशिया में स्थित, विशाल आयामों का देश है। यह जातीय, सामाजिक–सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक विविधता की अनूठी तस्वीर प्रस्तुत करता है जिसके परिणामस्वरूप भाषाई विविधता है। यह इस तथ्य के कारण है कि भारत को पी. बी. पंडित (1972) एक 'सामाजिक–भाषाई क्षेत्र' के रूप में। ड.ठ. एमेन्यू (1956) ने भारत को एक 'भाषाई क्षेत्र' के रूप में देखा था। सभी इंडो–आर्यन भाषाओं में हिंदी और उर्दू बहुसंख्यक आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ हैं। भारतीय

उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली भाषाई विविधता काफी जटिल है क्योंकि उपमहाद्वीप एक बहुत बड़ी आबादी का निवास है जो चार भाषा परिवारों से संबंधित भाषा बोलती है, अर्थात। इंडो–आर्यन (इंडोइरोपियन का उप–परिवार), द्रविड़ियन, टिबेटो–बर्मीज़ और ऑस्ट्रो एशियाटिक। हाल ही में प्रोफेसर अन्विता अब्बी और अन्य जैसे विद्वानों ने दक्षिण एशिया के एक अन्य भाषा परिवार के रूप में अंडमानीज को शामिल किया है। नतीजतन भारत के भाषा परिवारों की कुल संख्या पाँच हो जाती है। भाषा परिवारों की कई बोलियों के वक्ताओं द्वारा भूमि के विशाल खंड पर भी कब्जा कर लिया गया है। अंग्रेजी पूरे देश के लिए भाषा–विज्ञान की स्थिति में है। इंडो–आर्यन भौगोलिक प्रसार और संख्यात्मक शक्ति के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कुल भारतीय आबादी के कुल 491,086,116 वक्ताओं के साथ, हिंदी और उर्दू भाषा के इंडो–आर्यन परिवार से संबंधित दो भाषाएं हैं। उर्दू कई इंडोआयरन भाषाओं में से एक है जो खारी–बोली से विकसित हुई है। उर्दू दिल्ली के आसपास विकसित हुई है।

आधिकारिक भाषा

भारतीय राजनीति में मुख्य राजनीतिक चिंताओं में से एक भाषा के मुद्दों से जुड़ा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि भारत की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी के साथ हिंदी भी होगी। हिंदी भाषाओं के इंडो–आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। अन्य भाषाओं के वक्ताओं, विशेष रूप से द्रविड़ भाषाओं ने, इस निर्णय में अपनी भाषा और संस्कृतियों को मिटाने का प्रयास देखा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा भी घोषित किया गया था। भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी के चयन का कारण राजनीतिक था।

हिंदी का महत्व

वर्तमान समय में हिंदी भाषा के नामकरण / शब्द में 250 से अधिक मातृभाषाएँ शामिल हैं, जो एक सांख्यिकीय बहुमत बनाती है। यह देखना आश्चर्यजनक है कि हिंदी भाषियों का सांख्यिकीय बहुमत कैसे प्राप्त किया जाता है। भाषाई बहुमत बनाने के लिए विभिन्न मातृभाषाओं को मिलाया जाता है। अगर इस तरह की गुत्थम–गुत्था नहीं की गई तो हिंदी की भाषाई जनसांख्यिकी अलग हो जाएगी। भारतीय भाषाओं के इतिहास में, हिंदी उन भाषाओं में से एक है, जो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि अन्य भाषाओं के विपरीत, किसी भी राजवंश की आधिकारिक भाषा या प्रशासन की भाषा नहीं थी, आज की आधिकारिक तौर पर पहचानी जाने वाली हिंदी है। हमने पहले ही देखा कि एक समग्र शब्द रूप को कवर करने के लिए एक छाता शब्द / रूप है, जो अलग–अलग लेकिन संभवतः पारस्परिक रूप से समझदार मातृभाषाओं से बना है। यह एक सुपर–ऑर्डिनेट शब्द है, जो अधीनस्थ मातृभाषाओं / बोलियों का एक समूह है। इस प्रकार, वर्तमान हिंदी स्वतंत्र भारत के नियोजित विकास का परिणाम है। भाषा के अंतर्गत आने वाली विभिन्न मातृभाषाओं के बीच मौजूद भाषाई विशेषताओं का सामान्य मूल है।

आधुनिक हिंदी भाषा का यह रूप है जो उसकी स्वतंत्रता के बाद भारत में लगभग पूर्ण स्वीकार्य रूप में विकसित हुआ है और विभिन्न डोमेन में उपयोग में है। हिंदी के तीन अलग–अलग रूप विकसित हुए हैं और वे तीन अलग–अलग प्रकार के

कार्य करते हैं। पहले एक का उपयोग औपचारिक संदर्भों में मानक हिंदी के रूप में किया जाता है, बोले जाने वाले और लिखित दोनों रूपों में; दूसरा आधिकारिक या प्रशासनिक हिंदी है, जिसका उपयोग प्रशासन के एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण डोमेन में किया जाता है, और तीसरा रूप है हिंदी–फ्रैंक हिंदी, जिसका उपयोग केवल औपचारिक रूप से पूरे देश में गैर–औपचारिक संदर्भों में किया जाता है। क्षेत्रीय भाषाओं की छाया जहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। यह रूप महात्मा गांधी की हिंदुस्तानी की धारणा के समान है, जिसे अब बाजार हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। देश में इंट्रा–ग्रुप संचार के लिए इस तरह की हिंदी का इस्तेमाल विभिन्न भाषा बोलने वालों के लिए किया जाता है।

हिंदी का प्रचार

भारत का संविधान इस प्रावधान के साथ तैयार किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ देव नगरी की लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी (दास गुप्ता 1970, पृष्ठ 136)। हिंदी के आरोह–अवरोह में सहायता के लिए कई कार्य किए गए। पंद्रह साल की अवधि में अंग्रेजी को चरणबद्ध करने और इसे हिंदी (1965 तक) से बदलने के लिए एक योजना अपनाई गई थी। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित संघों ने पूरे भारत में हिंदी को बढ़ावा दिया, जिनमें से सबसे सफल संगठन थे जिन्होंने दक्षिण में हिंदी निर्देश प्रदान किए। सरकार ने लेखकों, कवियों और अनुवादकों को हिंदी में काम करने के लिए पैसे भी दिए। समितियों का गठन हिंदी को "अधिक विकसित" करने के लिए किया गया ताकि इसे अधिक व्यापक शब्दावली प्रदान की जा सके जो इसे अपने आधिकारिक कार्यों को पूरा करने की अनुमति देगा। नए शब्दों के लिए प्राथमिक स्रोत संस्कृत था; हालाँकि, नई शब्दावली अक्सर अपरिचित थी और औसत व्यक्ति के लिए लंबे समय तक थी, और इन शब्दों के बहुमत ने कभी भी पकड़ नहीं लिया। इसके बजाय, अंग्रेजी शब्दों या उनमें से भिन्न का उपयोग अक्सर किया जाता था भले ही हिंदी शायद सबसे स्वाभाविक पसंद थी, लेकिन राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसकी सफलता प्राप्त करने के लिए कई ब्लॉक थे। इनमें से एक अंग्रेजी की उच्च स्थिति थी– 1965 तक इसे सभी सरकारी संचारों से बाहर करने की योजना के बावजूद इसे आज तक बरकरार रखा गया है। अंग्रेजी को प्रतिस्थापित करने की भारतीय भाषा की इच्छा वास्तव में 1920 के दशक से राष्ट्रवादी सोच का हिस्सा थी। नायर 1969, पी। 98)। हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी के महत्व के कारण और जो लोग इसे बोल सकते थे, उन पर दिए गए कई फायदे, अंग्रेजी का अध्ययन पहले की तुलना में और भी अधिक दृढ़ता के साथ जारी रहा, जबकि हिंदी को कई क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ा, जहां लोगों को इसकी बहुत कम आवश्यकता थी। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि शिक्षित आबादी का एक बड़ा वर्ग जो सरकारी सेवाओं में गया था, को अपनी नौकरी करने में अंग्रेजी का उपयोग करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, अंग्रेजी ने पूरी तरह से भूमिका को त्यागने के बजाय हिंदी के साथ एक आधिकारिक भाषा के रूप में अपनी स्थिति को साझा किया है।

हिंदी को अपनाने के लिए विद्रोह

हिंदी के प्रचार–प्रसार के खिलाफ काम करने वाले इन और अन्य कारकों के कारण, न तो आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी से हिंदी में योजनाबद्ध बदलाव हुआ और न ही राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ। बहरहाल, 1965 में, 15–वर्षीय योजना के अनुसार, भाषाई परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए थे। केंद्र और राज्यों के बीच संचार हिंदी में होना था, गैर–हिंदी राज्यों को छोड़कर, जो एक साथ अंग्रेजी अनुवाद प्राप्त करेगा (दास गुप्ता 1970, पृष्ठ.236)। इस निर्धारण के कारण भारत के कई अलग–अलग क्षेत्रों में विरोध हुआ–विशेषकर मद्रास में। वहां, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (क्डज्ञ) राजनीतिक दल ने 17 जनवरी, 1965 को मद्रास राज्य विरोधी हिंदी सम्मेलन आयोजित करने में मदद की, जो 26 जनवरी की तारीख से एक सप्ताह पहले की तुलना में भारत की एकमात्र राजभाषा हिंदी की भूमिका के लिए निर्धारित है। इस समय सीमा से एक दिन पहले, मद्रास में छात्रों ने "हिंदी साम्राज्यवाद" और "हिंदी, अंग्रेजी कभी!" की रोष के साथ चुटकी ली, और आंदोलन और दमन के दो महीने की लंबी अवधि की शुरुआत की। इस दौरान, छत्तीस लोगों की मौत हो गई, जिनमें से दो क्डज्ञ के सदस्य थे, जिन्होंने सड़क पर आत्मदाह कर आत्महत्या कर ली। उसी समय, उत्तर में हिंदी समर्थक समूहों ने "अंग्रेजी साम्राज्यवाद" पर हमला किया और केंद्र सरकार से हिंदी को स्थानांतरित करने का आग्रह किया। ज्योतिरिन्द्र गुप्ता के अनुसार, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में जागरूकता की कमी के कारण, मद्रास में हिंसा एक महत्वपूर्ण कार्य रही। भाषा संघर्ष और राष्ट्रीय विकास में, वे कहते हैं कि कई भारतीय आंदोलन में, मद्रास आंदोलन ने दिखाई कि आधिकारिक नेताओं ने लगातार देखने से इनकार कर दिया था। हिंसा खुले में लाई गई जो नीचे की ओर से घट रही थी और जिससे समस्या के समाधान की मांग का रास्ता खुल गया। इस अर्थ में इसने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य किया। इस हिंसा का प्रकट कार्य सत्ता में नेताओं के बीच संचार के एक पुल का निर्माण करने में मदद करना था, जिनके पास संवेदनशीलता की कमी थी, और संवेदनशील लोगों की, जिनके पास शक्ति की कमी थी। यह कहना नहीं है कि मद्रास आंदोलन पूरी तरह से हिंसा पर आधारित था। वास्तव में, प्रारंभिक चरण में हिंसा की भयावहता न्यूनतम थी, और हिंसा के कार्य काफी हद तक उन लोगों के साथ संचार स्थापित करने में विफलता के शासक प्राधिकरण की विफलता के उत्पाद थे, जिनके पास भाषा के मुद्दे पर गहन भावनाएं थीं। हिंसा का प्रभाव इस संचार को शुरू करने और समझौता करने के बाद के अवसरों को खोलने के लिए था।

भारत सरकार का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

भारत सरकार ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से, नव समाज की आकांक्षाओं देष की पोषित परम्पराओं, आवष्यकताओं और आधारभूत मान्यताओं में निहित षिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया है। स्वाधीनता के पश्चात् से लेकर 20वीं सदी के अन्त तक भारत में शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर प्रयास किये गये हैं। इन प्रयासों से शैक्षिक परिदृष्य में निरन्तर परिवर्तन होता रहा है। प्रारम्भ में औपचारिक विद्यालयी षिक्षा पर अधिक जोर दिया गया। इससे पूर्ण सफलता नहीं मिलने पर 70 के दषक (1971–80) में औपचारिक षिक्षा के साथ ही विकल्प स्वरूप अनौपचारिक षिक्षा के कार्यक्रम भी प्रारम्भ

किये गये। लेकिन औपचारिक विद्यालयी षिक्षा, अनौपचारिक षिक्षा कार्यक्रमों व प्रौढ़ षिक्षा के कार्यक्रमों में परस्पर तालमेल का अभाव रहा।

भारत के विषाल क्षेत्रफल और जनसंख्या को देखते हुये 70 के दषक के दौरान यह अनुभव किया जाने लगा कि शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय विषमतायें बढ़ी है। अनेक राज्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये घोषित किए गये। लेकिन शैक्षिक दृष्टि से विकसित राज्यों में भी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिले मौजूद थे, इसके विपरीत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में भी शैक्षिक दृष्टि से विकसित जिले व उपखण्ड मौजूद थे। इस दृष्टिकोण से षिक्षा में तुरन्त सुधार अपेक्षित था, इसे रूपान्तरित करना, जनमानस के जीवन, आकांक्षाओं व आवष्यकताओं से सम्बन्धित करने का प्रयत्न करना और राष्ट्रीय विकास हेतु लक्ष्यों की पूर्ति के लिए षिक्षा को एक शक्तिषाली साधन बनाने का प्रयत्न करना आवष्यक हो गया था। इस कार्य के लिये षिक्षा इस प्रकार से सुविकसित होनी चाहिये कि वह उत्पादन बढ़ा सके, प्रजातांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ कर सके, सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में सामंजस्य स्थापित कर सके, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गतिषील बना सके, प्रदेष की नैतिक तथा पवित्र मान्यताओं को समुन्नत कर सके। 1981 से देष में शैक्षिक योजना निर्माण में केन्द्र एवं राज्य के बजाय जिले को एक इकाई के रूप में मानकर स्थानीय आवष्यकतानुसार योजनाऐं बनायी जाने लगीं।

निष्कर्ष

समग्र भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत का स्थान भाषाओं की दृष्टि से मां के समान है। सभी भारतीय भाषाओं का आधार संस्कृत है। इस तथ्य को वैश्विक स्तर पर भी स्वीकार किया जा रहा है कि संस्कृत वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पूर्ण भाषा है। परंतु हमारे देश में कुछ लोगों ने संस्कृत को मृतभाषा तक कह दिया है। इस नीति में कहा गया है कि संस्कृत को पाठशालाओं तक सीमित न रखते हुए विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र के तहत एक विकल्प के रूप में स्थान दिया जाएगा। इसे पृथक नहीं परन्तु रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से पढ़ाया जाएगा तथा अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोल शास्त्र, दर्शनशास्त्र, नाटक विद्या, योग आदि से भी जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में चार वर्षीय बहुविषयक बी.एड. डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस नीति में एकल विश्वविद्यालयों की संकल्पना को खारिज किया गया है। इस दृष्टि से संस्कृत विश्वविद्यालय भी बहुविषयक विश्वविद्यालय बनेंगे जिससे सभी विषयों के साथ संस्कृत का जुड़ाव सहज हो सकेगा।

हमारे देश में अनुवाद कभी प्राथमिकता का विषय नहीं बना है परन्तु हमारा देश बहुत विशाल है, भाषाओं की विविधता है। ऐसे समय में अनुवाद आवश्यक कार्य हो जाता है। इसकी कमी से अपने ही देश के विभिन्न राज्यों के अच्छे साहित्य से हम वंचित रहते हैं। धारणा बन गई है कि ज्ञान की भाषा अंग्रेजी है। हालांकि यह अर्धसत्य है। विभिन्न उत्कृष्ट ज्ञान अलग–अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए विज्ञान का अधिक ज्ञान रूसी भाषा में और दर्शन का ज्ञान जर्मन भाषा में है। इसी

प्रकार पुरातत्व, साहित्य का अधिक अच्छा ज्ञान फ्रांसीसी भाषा में है। इन सब प्रकार के ज्ञान की हमको आवश्यकता है तब इसका अनुवाद ही विकल्प है। वैश्विक स्तर पर अच्छे ज्ञान की पुस्तक किसी भी भाषा में छपती है तब जापान में एक मास के भीतर उसका अपनी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता है। हमें भारत को ज्ञानवान समाज बनाना है तो अपनी भाषाओं में सभी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध कराने से ही यह संभव हो पायेगा। इस नीति में राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान की स्थापना तथा अनुवाद के उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम चलाने का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों के संस्कृत सहित भारतीय भाषा के विभागों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विस्तार की बात कही गई है और देशभर में बिखरी हुई लाखों पांडुलिपियों को एकत्रित और संरक्षित करके उनके अनुवाद तथा अध्ययन करने के प्रयास की प्रतिबद्धता दर्शायी गई है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि रचनात्मकता, सृजनात्मकता, नवाचार एवं शोध–अनुसंधान मातृभाषा में ही संभव है। भारतीय वैज्ञानिक सी.वी. श्रीनाथ शास्त्री का कथन है कि अंग्रेजी के माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में भारतीय भाषाओं में पढ़े छात्र, अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। इस नीति ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रस्तावित ''राष्ट्रीय शोध संस्थान'' में भारतीय भाषाओं में शोध हेतु आवश्यक निधि का प्रावधान किया जाएगा।

इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास, विस्तार के संदर्भ में आवश्यक अधिकतर बातों का समावेश किया गया है। परन्तु सबसे बड़ा प्रश्न इसके क्रियान्वयन का है। आनंद की बात है कि केन्द्र एवं कुछ राज्यों एवं शैक्षिक संस्थाओं ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिए है। उदाहरण के लिए मेडिकल हेतु राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता परीक्षा 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के विकास एवं विस्तार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय भाषा परिषद का गठन किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम आठ भाषाओं में तैयार किया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय भाषाओं में कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसी के साथ मध्यप्रदेश सरकार ने मेडिकल शिक्षा के पाठ्यक्रम हिन्दी में तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है।

संदर्भ सूची

1. बर्जर, एम. टी. एशिया के लिए लड़ाईः उपनिवेशवाद से वैश्वीकरण तक। रूटलेज़, लंदन और न्यू यॉर्क। 2004.
2. बेटेइले, आंद्रे। "समानता और सार्वभौमिकता।" आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. वॉल्यूम. 36(38). 2001.
3. भारद्वाज, कृष्णा. शास्त्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था और आपूर्ति और मांग सिद्धांतों के प्रभुत्व में वृद्धि। मैड्रेस यूनिवर्सिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड। भारत। 1966.

4. भाटिया, वंदना और विलियम, डी. "विचार और प्रवचनः कनाडाई और जर्मन स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार और प्रतिरोध।" कैनेडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस. वॉल्यूम. 36(4). 2003.
5. भट्टाचार्य, सब्यसाची. शिक्षा और वंचित – 19वीं और 20वीं सदी का भारत। ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली। 2002.
6. भट्टी, किरण. "भारत में शैक्षिक अभावः क्षेत्रीय जांच का एक सर्वेक्षण।" आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. नंबर 27 और 28. 1998.
7. ब्लाग, एम. "शैक्षिक योजना के दृष्टिकोण।" आर्थिक जर्नल. वॉल्यूम. 77(306). 1967.
8. "शिक्षा के अर्थशास्त्र की पुस्तक समीक्षाः अनुसंधान और अध्ययन।" मानव संसाधन जर्नल. वॉल्यूम. 24(2). 1987.
9. "साक्षरता और आर्थिक विकास।" स्कूल की समीक्षा. वॉल्यूम. 74(4). 1966.
10. "मानव पूंजी सिद्धांत की अनुभवजन्य स्थितिः थोड़ा सा पीलियाग्रस्त सर्वेक्षण।" आर्थिक साहित्य जर्नल. वॉल्यूम. 14(3). 1976.
11. ब्लोसफेल्ड, हंस–पीटर और शेविट, योश। "लगातार बाधाएँः तेरह देशों में शैक्षिक प्राप्ति में परिवर्तन।" वेस्टव्यू प्रेस, सैनफ्रांसिस्को, यूएसए। 1993.
12. बोवेन, डब्ल्यू.जी. "शिक्षा के आर्थिक योगदान का आकलनः वैकल्पिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन।" उच्च शिक्षा। लॉर्ड रॉबिंस की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट 1961–63। एचएमएसओ, लंदन। 1963